न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद–06/2015

अंजू कुमारी बनाम राज्य व अन्य

–: आदेश ::–

23.9.17 प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील अपीलार्थी अंजू कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आँगनबाड़ी वाद–53/12–13, में दिनांक–12.10.2015 को पारित चयन मुक्ति आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी आँगनबाड़ी केन्द्र मुरली टोला केन्द्र संख्या–88, पंचायत–पटुआहा में सेविका पद पर कार्यरत थी। दिनांक–28.11.2014 को आहूत आम सभा में मेधा क्रमांक के आधार पर चयनित किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–22–1, दिनांक 03.01.2015 द्वारा प्रशिक्षण के लिए आवेदिका को भेजा गया तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर आवेदिका सफलता पूर्वक अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने लगी। इस बीच केन्द्र का कई पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया तथा पदाधिकारियों ने संतुष्टी व्यक्त की। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पत्रांक–292 दिनांक–15.10.2015 द्वारा अपीलार्थी का चयन रद्द कर दिया गया। पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष अपील दाखिल किया गया है। अन्ततः अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा दिनांक–12.10.2015 को पारित आदेश को निरस्त कर इसके कार्यान्वयन पर तत्कालीन प्रभाव से रोक लगाने का निवेदन किया है।

निम्नांकित आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश को चुनौती दी गयी है।

केन्द्र संख्या 88 के लिए निकाले गये विज्ञापन में कही से भी आँगनबाड़ी वाद–23/66/12 एवं 53/2012–13 का उल्लेख नहीं किया गया और न ही न्यायालय के आदेश में चयन को प्रभावित करने का उल्लेख किया गया था, बल्कि नये सिरे से रिक्तियों के विरूद्ध नवीन प्रक्रिया के तहत आवेदन किया गया था, जिसमें अपीलार्थी का चयन हुआ।

केन्द्र संख्या 88 पर पूर्व से विपक्षी पूनम कुमारी का चयन किया गया था जिनके कार्य–कलाप में वरती गयी अनियमितता के कारण जिला पदाधिकारी के न्यायालय में दायर अपील वाद 23/12 दायर किया गया था जो वाद में सुनवाई के लिए क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल के न्यायालय को भेजा गया जो वाद को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को रिमांड किया गया। प्रावधान के तहत केन्द्र संख्या–88 के लिए निकाले गये विज्ञापन में कही भी पूर्व से चल रहे मुकदमें का उल्लेख नहीं था तथा तथ्य को छिपाकर विज्ञापन निकाला गया जो नियम के प्रतिकूल है।

ग्राम पंचायत पटुआहा के आँगनबाड़ी केन्द्र–88 मुरली टोला के लिए सेविका चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ जिसमें वन्दना कुमारी का अवैध रूप से चयन किया गया। उक्त अवैध चयन के विरूद्ध विपक्षी पूनम कुमारी द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय के सी0डब्लू0जे0सी0–248/2010 में पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी के न्यायालय में वाद संख्या–43/2010 दाखिल किया गया था, जिसमें विपक्षी पूनम कुमारी के पक्ष में जिला पदाधिकारी के न्यायालय से आदेश पारित किया गया। जिला पदाधिकारी न्यायालय से आदेश पारित किया गया। जिला पदाधिकारी के न्यायालय से पारित आदेश के आलोक में पूनम कुमारी कार्यरत थी, परन्तु तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहरा द्वारा अवैध रूप से विपक्षी पूनम कुमारी को चयन मुक्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध पूनम कुमारी ने जिला पदाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया जिसका फैसला विपक्षी पूनम कुमारी के पक्ष में आया तथा विपक्षी पूनम कुमारी का पुनः नियोजन हुआ और विपक्षी पूनम कुमारी अद्यतन कार्यरत है। विपक्षी के विरूद्ध किसी भी स्तर से कोई शिकायत नहीं है। इस दरम्यान केन्द्र 88 के लिए विज्ञापन निकालते वक्त विपक्षी पूनम कुमारी द्वारा विरोध किये जाने पर भी तत्कालीन स्थिति के आधार पर नियोजन पत्र पर यह लिखते हुए कि चयन मान्नीय न्यायालय में लंबित वाद के आधार पर निर्धारित होगा, आवेदिका का चयन किया गया। जाहिर है कि चयन में शर्त था कि मान्नीय न्यायादेश का आदेश चयन पर भी प्रभावी होगा, जिसे आवेदिका ने सशर्त्त स्वीकार किया था।

23.9.17

अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि आम सभा पंजी में भी उल्लेखित है कि यह चयन न्यायालय के निर्णय से प्रभावित होगा। अतः निम्न न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। वाद अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

23.9.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

23.9.17

जिलाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 1504-2 /विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
25.09.017 जिला विधि शाखा, सहरसा।